प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 172 /2016

भास्कर रोही पिता कन्हैया लाल रोही, आयु 27 वर्ष ,निवासी धमतरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---अपीलकर्त्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य पी.एस. सिटी कोतवाली के द्वारा , जिला धमतरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता

राज्य हेतु :श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, उप-शासकिय अधिवक्ता

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर निर्णय

07.04.2025

1. धारा 374(2) के तहत दायर वर्तमान दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिला धमतरी द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 04/2015 में पारित दिनांक 01.02.2016 के आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी करार देते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 100/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अर्थदंड की राशि न चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंड दिया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.01.2015 को अभियोक्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अपीलार्थी ने छह वर्ष पूर्व यह कहकर गुप्त तरीके से उससे विवाह कर लिया था कि जब उसकी छोटी बहन का विवाह होगा, उस समय वह विधि-विधान एवं रीति-रिवाज के साथ उससे पुनः विवाह कर

लेगा।लेकिन अपनी रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया कि विवाह के पाँच वर्ष पश्चात् भी अपीलकर्ता उससे कन्नी काटता था । उसने कहा कि वह समय–समय पर अपीलकर्ता के घर जाती थी और अपीलकर्ता के परिवार के सदस्य उनकी गुप्त विवाह के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। विवाह के उन पाँच वर्ष में वह कई बार गर्भवती हुई लेकिन हर बार अपीलकर्ता उससे गर्भपात करवाता था और अपने परिवार के सामने उससे विवाह करने के लिए डेढ़ वर्ष का समय माँगता था। बाद में उसे पता चला कि अपीलकर्ता ने डेढ़ वर्ष पहले किसी और महिला से विवाह कर ली है।उपरोक्त आरोप के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

3. अन्वेषण पूरी होने पर, अपीलकर्ता के विरुद्ध संबंधित विचारण न्यायालय में आरोप–पत्र दाखिल किया गया।अपीलकर्ता के विरुद्ध ऊपर उल्लिखित अपराध के लिए आरोप तय किए गए और उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना प्रकरण साबित करने के लिए छह साक्षीयों का परीक्षण किया गया । अभियुक्त अपीलकर्ता का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध उपलब्ध समस्त आपत्तिजनक साक्ष्यों से इनकार किया, स्वयं को निर्दोष बताया तथा झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया।शुरू में अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोप लगाया गया था, बाद में, विचारण पर अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 बनती है। इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत करते है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी ठहराया है जो अतार्किक और विकृत है। बल्कि अपीलकर्ता का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के दायरे में आता है।विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतः अनुमानों, कयासो तथा साक्ष्यों के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित है। अतः वह प्रार्थना करते हैं कि सत्र न्यायाधीश, धमतरी द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 04/2015 में दिनांक 01.02.2016 को पारित आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाए तथा न्याय के हित में अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाए।

6.इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि सभी दोषपूर्ण साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध हैं तथा अपीलार्थी का मामला पूर्णतः भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के अंतर्गत आता है। अतः वह अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध करते हैं।

7.मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 375:---

किसी पुरुष को "बलात्कार" करने वाला कहा जाता है यदि वह

(क) किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी सीमा तक अपना लिंग प्रवेश कराता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या

(ख) किसी भी सीमा तक कोई वस्तु या शरीर का कोई हिस्सा, जो लिंग नहीं है, किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में डालता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या

(ग) किसी महिला के शरीर के किसी हिस्से को इस तरह से छेड़ता है जिससे योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी हिस्से में प्रवेश हो जाए या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है; या

(घ) किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए कहता है,

9. भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 497

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

497. व्यभिचार-------

जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सहमति या मिलीभगत के बिना, ऐसा संभोग करता है, जो बलात्कार के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह व्यभिचार के अपराध का दोषी होगा, और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के मात्र अवलोकन से, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि व्यभिचार एक अपराध है, जो किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ उसकी सहमति या मिलीभगत के बिना यौन संभोग करके किया जाता है।इस पर अपीलकर्ता के विद्वान वकील का एकमात्र तर्क यह है कि अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के दायरे में नहीं आता है, इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला और उसके साक्ष्य को देखा जाना चाहिए।

11. अभियोक्ता ने अपनी प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कहा है कि अपीलकर्ता ने विवाह का झांसा देकर यौन संबंध बनाए हैं।उसने बताया कि छह वर्ष पहले अपीलकर्ता और उसने एक दूसरे से गुप्त तरीके से विवाह कर लिया था क्योंकि अपीलकर्ता ने उससे कहा था कि उसकी छोटी बहन के विवाह के बाद वह रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार उससे विवाह करेगा।परंतु जब भी वह उससे विवाह करने के लिए कहती है, तो वह कुछ पारिवारिक विवाद्यकों के आधार पर उसे टाल देता है।यह उनकी गुप्त विवाह के बाद लगभग पांच वर्ष तक चलता रहा।उसने कहा कि उनकी गुप्त विवाह के बारे में उसके परिवार के सदस्यों को भी पता था।

उन वर्षों के दौरान वह पांच बार गर्भवती हुई।हालांकि, अपीलकर्ता किसी न किसी तरह से उसका गर्भपात करवाता रहा। इसके बाद उसने कहा कि डेढ़ वर्ष बाद वह उससे विवाह कर लेगा, लेकिन किसी तरह से उसे पता चल गया कि अपीलकर्ता ने डेढ़ वर्ष पहले किसी और महिला से विवाह कर लिया है। और जब उसने फोन करके उससे इस बारे में पूछा, तो उसने स्वीकार किया कि उसने डेढ़ वर्ष पहले किसी और महिला से विवाह कर लिया है।

12. पीडब्लू–01 संजय शुक्ला, मकान मालिक जिसमें अपीलकर्ता और अभियोक्ता गुप्त विवाह करने के बाद रहते थे।पीडब्लू–01 ने अपने बयान में कहा है कि अभियोक्ता और अपीलकर्ता अप्रैल, 2014 से उनके घर में किरायेदार के रूप में रहते थे। उसने और अपीलकर्ता ने स्वयं को पति–पत्नी बताया है।उनके साथ एक लड़का भी था। एक दिन उसे पता चला कि अभियोक्ता आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है और पूछने पर उसने बताया कि अपीलकर्ता उससे विवाह करने से इनकार कर रहा है। वह कई बार गर्भपात करा चुकी है। इस पर उसने अपीलकर्ता को समझाने का प्रयास किया की कि उससे विवाह करना बेहतर है क्योंकि तुम दोनों लंबे समय से पति–पत्नी के रूप में रह रहे है। परंतु अपीलकर्ता ने उसकी बात नहीं मानी और उससे विवाह करने से इनकार कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. पी.डब्लू.–02, शेखर शिंदे जो पी.डब्लू.–01 का किरायेदार था और अपीलकर्ता तथा अभियोक्ता के बगल मे रहता था, ने भी अपने कथन में वही बातें कही हैं जो पी.डब्लू.–01 ने कही हैं। उसने इस तथ्य की पुष्टि की कि अपीलकर्ता और अभियोक्ता पति–पत्नी के रूप में उनके बगल में रहते थे और अभियोक्ता ने उसे बताया कि अपीलकर्ता उससे विवाह करने से इंकार कर रहा है और वह कई बार गर्भवती हुई, जिस पर अपीलकर्ता ने हर बार उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात करा दिया। इसके अलावा उसे पता चला है कि उसने डेढ़ वर्ष पहले किसी महिला से विवाह कर लिया है और उसे इस बारे में नहीं बताया है।14. इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में अभियोक्ता के पति ने न्यायालय के समक्ष कोई परिवाद दर्ज नहीं किया गया है।भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एक असंज्ञेय अपराध है और धारा 375 तथा धारा 497 के तत्व पूरी तरह से भिन्न हैं। विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपीलकर्ता को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन अभियोक्ता के पति द्वारा सक्षम न्यायालय/मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किए बिना ही धारा 497 के तहत अपीलकर्ता को दोषी करार दे दिया।व्यभिचार और बलात्कार के बीच अंतर करते समय निम्नलिखित अंतर बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

क) व्यभिचार केवल विवाहित महिला के साथ किया जा सकता है, जिसका पति जीवित हो, जबकि बलात्कार किसी भी विवाहित या अविवाहित महिला के साथ किया जा सकता है, जिसका पति जीवित या मृत हो या तलाकशुदा महिला हो।

ख) व्यभिचार में, महिला स्वेच्छा से और सहमति से साथी होती है, लेकिन बलात्कार में पुरुष द्वारा उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी स्वतंत्र सहमति के बिना संभोग किया जाता है।

ग) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ व्यभिचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में पति द्वारा बलात्कार किया जा सकता है।

घ) व्यभिचार विवाह के विरुद्ध अपराध है, जबकि बलात्कार महिला के व्यक्तित्व के विरुद्ध अपराध है।

ङ) व्यभिचार में पीड़ित पक्ष पति होता है, जबकि बलात्कार में पीड़ित महिला पीड़ित पक्ष होती है।

15. वर्तमान प्रकरण में, पीड़ित पक्ष जो अभियोक्ता के पति है, ने न्यायालय के समक्ष व्यभिचार की शिकायत नहीं की है, इसलिए, अपीलकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तत्व नहीं बनाए गए हैं।

16. यह उल्लेख करना भी उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ [2018] 11 एस.सी.आर. 765 के मामले में** यह अभिनिर्धारित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो व्यभिचार को अपराध बनाती है, असंवैधानिक है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया है क्योंकि यह धारा पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग-अलग व्यवहार करके विधि के समक्ष समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, क्योंकि केवल पुरुषों पर व्यभिचार के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इसलिए, अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत दोषी ठहराया जाना विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, और इसलिए अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

18. सत्र विचारण क्रमांक 04/2015 में दिनांक 01.02.2016 को विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिला धमतरी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।इस प्रकार, वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है।

19. अपीलकर्ता के कारागार में होने की सूचना है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

20. दंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 437-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित फॉर्म संख्या 45 के अनुसार 5,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड तथा समान राशि का एक विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाता है कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध

विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्रदान करने की स्थिति में, उक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

21. विचारण न्यायालय अभिलेख (टी. सी. आर.) को इस निर्णय की एक प्रति के साथ अनुपालन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु तुरंत संबंधित विचारण में वापस भेजा जाना चाहिए।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य*

प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur